राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2745/2025

दिनेश कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, भरतपुर जोन, भरतपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार कसाना, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 24.04.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.04.2008 (अनुलग्नक–2) के द्वारा नर्स ग्रेड–2 के पद पर हुई थी। बाद में परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर अपीलार्थी को स्थायी किया गया। अपीलार्थी राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में पुरुष नर्स ग्रेड–2 के पद पर कार्यरत था, तब उसका नाम नर्सिंग ग्रेड–1 की दिनांक 15.05.2020 की पदोन्नति सूची में क्रमांक 213 पर था, जबकि अपीलार्थी ने नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के लिए अपना विकल्प पहले ही प्रस्तुत कर दिया था और नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 17.07.2018 की अनंतिम वरिष्ठता सूची में उसका नाम क्रमांक 376 पर था (अनुलग्नक–4)। अतः अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2020 की सूची से अपना नाम हटाने के लिए दिनांक 20.05.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–3)। दिनांक 18.06.2021 की पदोन्नति सूची में अपीलार्थी को नर्स ग्रेड–1 के पद पर क्रम संख्या 209 पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने पदोन्नति नहीं ली, क्योंकि अपीलार्थी ने नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के लिए पहले ही विकल्प प्रस्तुत कर दिया था और उसका नाम अनंतिम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 376 पर था। लेकिन दिनांक 04.12.2020 को जारी नर्सिंग ट्यूटर पदोन्नति की अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम गायब था, इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 05.07.2021 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–5)। दिनांक 23.09.2024 के आदेश के तहत

नर्सिंग ट्यूटर की पदोन्नति के लिए दिनांक 01.04.2022 तक अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 187 पर था (अनुलग्नक–6)। इसके पश्चात दिनांक 18.02.2025 के आदेश द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 226 पर है (अनुलग्नक–7)। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 19.03.2025 द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेज़ों (सं. 21) में 'आईपीआर' की कमी बताई गई थी (अनुलग्नक–8) और इसके जवाब में आवश्यक कमियों को पूरा करते हुए अपीलार्थी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दिनांक 24.03.2025 के आदेश द्वारा अग्रेषित की गई थी (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2025 (अनुलग्नक–10) पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 28.04.2025 (अनुलग्नक–11) जारी किया गया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 23.04.2008 है तथा आज तक उसने वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं ली है तथा नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 25.04.2025 (अनुलग्नक–12) प्रस्तुत कर पदोन्नति दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलार्थी दिनांक 18.02.2025 की वरिष्ठता सूची में था और दिनांक 19.03.2025 के आदेश द्वारा इंगित की गई कमी दिनांक 24.03.2025 के आदेश द्वारा पूरी कर दी गई थी, लेकिन अभी भी अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2025 के आदेश द्वारा नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 24.04.2025 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत अपीलार्थी को नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने बी.एससी. की वरिष्ठता सूची जारी की थी। नर्सिंग अधिकारियों ने दिनांक 18.02.2025 को नर्सिंग उत्तीर्ण की, जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्शाया गया है। इसके बाद, आदेश दिनांक 03.04.2025 के तहत प्रत्यर्थी विभाग ने उन नर्सिंग अधिकारियों के नाम हटा दिए जिन्हें वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है या जिन नर्सिंग अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। इसके पश्चात शेष नर्सिंग अधिकारियों की डीपीसी आयोजित की गई और पदोन्नति दी गई। चूंकि अपीलार्थी को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग किया गया था। इस तरह की पदोन्नति को छोड़ने की जानकारी विभाग को प्रदान नहीं की गई है, इसलिए नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया है। चूंकि अब अपीलार्थी ने यह जानकारी प्रदान की है कि उसने वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है। इस प्रकार विभाग ने रिव्यू डीपीसी आयोजित करके

नर्सिंग ट्यूटर के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। कार्मिक विभाग द्वारा शीघ्र ही अनुमति प्राप्त कर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा। अपीलार्थी ने दिनांक 25.04.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विधिवत विचार किया गया। अतः उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 24.04.2025 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि रिव्यू डीपीसी आयोजित करके अपीलार्थी को नर्सिंग ट्यूटर के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। कार्मिक विभाग से शीघ्र अनुमति प्राप्त कर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त नहीं की गई है एवं अपीलार्थी ने विकल्प पत्र में अपनी पदोन्नति नर्सिंग ट्यूटर के पद पर किये जाने का विकल्प प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव तैयार लिए है एवं कार्मिक विभाग से अनुमति प्राप्त कर रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को पदोन्नति दिये जाने का निवेदन किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी के नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाकर पात्र होने की स्थिति में अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जावे। इस आदेश की पालना दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य